


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 483]

No. 483]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 2018/माघ 20, 1939

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 2018/MAGHA 20, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2018

का.आ. 558(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना सं. का.आ.1248(अ) तारीख 5 नवंबर, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारिणी में, शीर्षक 'गैर परिवहन यान' के अधीन, मद (xiv) के पश्चात् निम्नलिखित मदों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(xv) लगेज बाक्स के साथ मोटर साईकिल (एल1 और एल2 प्रवर्ग मोटर यान)

(xvi) स्वास्थ्य, शिक्षा या पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित क्रियाकलापों का संवर्धन करने के लिए विशिष्ट तकनीकी विशेषताओं, ठहराव और उपस्कर को रखते हुए तथा गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए विशेष उद्देश्य के यान"।

[फा. सं. आरटी--11028/12/2017-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पणः— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) अधिसूचना संख्या का.आ. 1248(अ) तारीख 5 नवंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 9th February, 2018

S.O. 558(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India, the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and highways, Department of Road Transport and Highways number S.O. 1248(E) dated the 5th November, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely :-

In the said notification, in the TABLE, under the heading 'non-Transport Vehicle', after item (xiv), the following items shall be inserted, namely:-

“(xv) motor cycle (L1 and L2 category motor vehicles) with luggage box

(xvi) special purpose vehicle, used for non-commercial purpose and having specific technical features, arrangement and equipment for promotion of activities related to health, education or environmental protection”.

[F. No.RT-11028/12/2017-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 1248(E) dated the 5th November, 2004.

RAKESH
SUKUL

Digitally signed by
RAKESH SUKUL
Date: 2018.02.10 17:15:16
+05'30'